न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

Miscellaneous Appeal No. 60/2024

मालती चौधरी

बनाम्

कुमारी गीता रंजन वगैरह

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया मालती चौधरी, पिता–स्व0 रामनन्हक चौधरी, सा0–नावाटोली, डालटनगंज, जिला–पलामू द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा–4(h) एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–63(बी) के तहत अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा बन्दोबस्ती वाद संख्या–01/2021–22, 02/2021–22 एवं 03/2021–22 के विरूद्ध दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। वाद के द्वितीय पक्षकार कुमारी गीता रंजन पति– राजीव रंजन मेहरा वो रामधारी राम पिता–सुखदेव राम वो बिपिन कुमार मेहरा पिता–रामधारी राम सभी निवासी ग्राम–मननचोटाग, थाना+जिला– लातेहार तथा आवेदिका को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष इस वाद में उपस्थित हुए तथा अधिवक्ता के माध्यम से अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका के पिता रामनन्हक चौधरी के नाम पर बन्दोबस्ती वाद संख्या–625/1951–52 से मौजा–मननचोटाग के गत सर्वे खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–6/1100, रकबा–1.00 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती किया गया। बन्दोबस्ती के बाद स्व0 रामनन्हक चौधरी बंदोबस्त भूमि पर भौतिक रूप से दखल–कबजा मे आकर अपने हक अधिकार का उपयोग करने लगे। बंदोबस्त भूमि की जमाबंदी उनके नाम पर खोली गई तथा सरकार को लगान भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त करने लगे। रामनन्हक चौधरी अपने जीवनकाल में रकबा–1.00 एकड़ भूमि में से रकबा–0.63 एकड़ भूमि बेच दिये तथा शेष भूमि रकबा–0.37 एकड़ पर वे काबिज रहे।

आवेदिका रामनन्हक चौधरी के कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से भूमि पर भूमि पर दखल-कब्जा एवं अपने हक अधिकार का उपयोग कर रही है। इसी क्रम में अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा आवेदिका के दस्तावेज एवं कब्जा को बिना जांच-पड़ताल के बन्दोबस्ती वाद संख्या-01/21-22, 2/21-22 एवं 3/21-22 से गत सर्वे खाता संख्या-43, प्लॉट संख्या-6/1100 की भूमि तीनों विपक्षी के नाम पर 4-4 डी0 बंदोबस्ती कर दिया गया, जबकि तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। बन्दोबस्ती से पहले कोई नोटिस या आम-इस्तेहार निर्गत नहीं किया गया। अंचल अधिकारी द्वार हाल ही में रामनन्हक चौधरी के नाम से पूर्व में बंदोबस्त भूमि को तीनों विपक्षी के नाम पर बंदोबस्त कर दिया गया। उक्त आलोक में विपक्षीगण के नाम पर की गई बंदोबस्ती को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रतिउतर में कहा गया है कि बंदोबस्ती वाद सं0-01/2021-22 से कुमारी गीता रंजन के नाम पर बंदोबस्त मौजा-मननचोटाग के खाता सं0-160 प्लॉट सं0-439 रकबा-0.04 एकड़ भूमि की चौहदी उतर में परती एवं रोड, दक्षिण में प्लॉट सं0-443, पूरब में रामधनी राम, तथा पश्चिम में यदुनाथ सिंह है। इसी प्रकार बंदोबस्ती वाद सं0-02/2021-22 से रामधनी राम के नाम पर बंदोबस्त मौजा-मननचोटाग के खाता सं0-160 प्लॉट सं0-439 रकबा-0.04 एकड़ भूमि की चौहदी उतर में परती एवं रोड, दक्षिण में प्लॉट सं0-443 पूरब में विपिन कुमार मेहरा, एवं पश्चिम में कुमारी गीता रंजन तथा बंदोबस्ती वाद सं0-03/2021-22 से विपिन कुमार मेहरा के नाम पर बंदोबस्त मौजा-मननचोटाग के खाता सं0-160 प्लॉट सं0-439 रकबा-0.04 एकड़ भूमि की चौहदी उतर में परती एवं रोड, दक्षिण में प्लॉट सं0-443, पूरब में परती, एवं पश्चिम में रामधनी राम है। मौजा-मननचोटाग के हाल सर्वे खाता संख्या-160, प्लॉट संख्या-439 रकबा-0.28 एकड़ की खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर वर्ष 1998 में प्रकाशित है, जिसमें अवैध दखलकार के रूप में विपक्षीगण के पूर्वज स्व0 सुखदेव राम का नाम अंकित है।

इस तरह स्पष्ट है कि विपक्षीगण के पूर्वज का वाद में प्रश्नागत भूमि पर हाल सर्वे खतियान के प्रकाशन के पहले से है। भूमि पर लम्बे समय से

दखल–कब्जा को देखते हुए विपक्षीगण के पक्ष में नियमानुसार बन्दोबस्ती किया गया तथा मांग पंजी–II में जमाबंदी कायम कर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत हो रहा है। आवेदिका द्वारा दायर यह अपील वाद पोषणीय नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा यह अपील गत सर्वे के अनुसार लाया गया है, जिसका हाल सर्वे खतियान प्रकाशन के बाद कोई प्रभाव नहीं है। सभी राजस्व कार्य भी हाल सर्वे खतियान के आधार पर किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि गत सर्वे में आवेदिका के पूर्वज के नाम पर बंदोबस्त भूमि एवं विपक्षीगण को हाल सर्वे के अनुसार बन्दोबस्त भूमि एक है। इस प्रकार आवेदिका का दावा पूर्ण रूप से निराधार है तथा विपक्षीगण को बन्दोबस्त भूमि से आवेदिका का कोई सरोकार नहीं है।

आवेदिका का दावा इस प्रकार भी गलत है कि यदि मौजा–मननचोटाग के हाल सर्वे खाता संख्या–160 प्लॉट संख्या–439 की भूमि गत सर्वे में उनके पूर्वज के नाम पर बन्दोबस्त था तो हाल सर्वे खतियान में आवेदिका के पूर्वज के नाम पर प्रकाशित होता, परन्तु वर्ष 1998 में अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर खतियान प्रकाशित हुआ है। उक्त प्रकाशित खतियान को आवेदिका द्वारा आज तक चैलेंज नहीं किया गया है। आवेदिका मालती चौधरी का वाद पत्र में ग्राम–नावाटोली, डालटेनगंज जिला–पलामू दर्शाया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वे लातेहार जिले की रहने वाली नहीं है तो लातेहार की भूमि को मालती देवी या उनके पूर्वज के नाम पर बन्दोबस्त किस प्रकार किया जा सकता है। इस तरह आवेदिका का दावा गलत व बेबुनियाद है।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–63(बी) में वर्णित है कि "In the event of any land settled as aforesaid not being brought under cultivation within a period of five years from the date of the settlement or the land being aliened in contravention of the provision contained in section-46, it shall be open to the Deputy Commissioner, of the distrixt to set aside the settlement of such land in accordance with provision of section

YS 17/9

63-A''

अपील आवेदन में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–63(बी) के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है। धारा–63(बी) के प्रावधानों के तहत यह अपील चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण को बन्दोबस्त भूमि से आवेदिका का कोई सरोकर नहीं है तथा अपील आवेदन गलत एवं विधि विरुद्ध है।

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करने तथा प्रतिपक्षी के जमाबंदी को यथावत् कायम रखने की बात कही गयी।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, लातेहार का जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक 690 दिनांक 20.08.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मननचोटाग का खाता–60 हाल सर्वे खतियान में अनावाद विहार सरकार दर्ज है। मौजा–मननचोटाग के ऑनलाईन मांग पंजी–II पेज सं0–31 भोल्यूम–2 में खाता सं0–160, प्लॉट सं0–439, रकबा–0.04 एकड भूमि का विपिन कुमार मेहरा पिता–रामधनी राम बन्दोबस्ती केस संख्या–03/2021–22 एवं मांग पंजी–II पेज सं0–32 भोल्यूम–2 में खाता सं0–160, प्लॉट सं0–439, रकबा–0.04 एकड भूमि का कुमारी गीता रंजन पति–राजीव रंजन मेहरा बन्दोबस्ती केस संख्या–01/2021–22 तथा मांग पंजी–II पेज सं0–33 भोल्यूम–2 में खाता सं0–160, प्लॉट सं0–439, रकबा– 0.04 एकड भूमि के रैयत रामधनी राम पिता–स्व0 सुखदेव राम बन्दोबस्ती केस संख्या–02/2021–22 दर्ज है। उक्त भूमि पर तीनों रैयतों का संयुक्त मकान बना हुआ है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अंचल अमीन के सीमांकन प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति में भी लगभग 20–22 व्यक्तियों का मकान एवं दखल–कब्जा होने का उल्लेख किया गया है।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–63(बी) के अनुसार Settlement liable to be set aside- In the event of any land settled as

aforesaid not being brought under cultivation within a period of five years from the date of the settlement, or the land being alienated in contravention of the provisions contained in Section 46, it shall be open to the Deputy Commissioner of the district to set aside the settlement and to make re-settlement of such land in accordance with provision of Section 63-A.

अपील आवेदन में कहा गया है कि बंदोबस्तधारी रैयत रामनन्हक चौधरी अपने जीवनकाल में रकबा–1.00 एकड़ भूमि में से रकबा–0.63 एकड़ भूमि बेच दिये तथा शेष भूमि रकबा–0.37 एकड़ पर वे काबिज थे।

इस प्रकार बन्दोबस्तधारी रामनन्हक चौधरी द्वारा बगैर सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बंदोबस्त भूमि की विक्री किया गया, जो बंदोबस्ती के शर्तों एवं छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत हाल सर्वे खतियान की सत्यापित प्रति में मौजा–मननचोटाग के खाता सं0–160, प्लॉट सं0–439, रकबा–0.28 एकड भूमि के मंतव्य कॉलम में अवैध दखल सुखदेव राम अनुसार खेसरा 428 दर्ज है।

अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा जाँच प्रतिवेदन में बन्दोबस्ती वाद सं0–01/2021–22, वाद सं0–02/2021–22 एवं वाद सं0–03/2021–22 के तीनों रैयतों का संयुक्त मकान निर्मित होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अपीलकर्ता भूमि पर अपना दखल–कब्जा साबित नहीं कर पाये।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों एवं अंचल अधिकारी, लातेहार को भेजे। अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 15:56:07 +05:30
Location: 192.168.164.143

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, लातेहार। उपायुक्त, लातेहार।